



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-734/4250
प्रति,

रायपुर, दिनांक 26/12/2018

वन मंडलाधिकारी

दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव
छत्तीसगढ़

विषय: - Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jawahar Navodaya Vidhyayalaya Area 5.00 ha. reg पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Sch/ 32242/ 2018

संदर्भ: - मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्र/मा.चि./ न. क्र./ 2018/ 2861 दिनांक 16.11.2018
= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:

1. प्रस्ताव में 1200 वृक्ष स्थल पर होना बताया गया है। कितने वृक्षों का विदोहन किया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ एफ नं. 11-9/98-एफ.सी. (LWE) दिनांक 15.02.2018 अनुसार राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में 50 वृक्ष प्रति हे. के मान से होने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रस्ताव में 1200 वृक्ष कटना है जो प्रति हे. 50 वृक्ष से अधिक है। स्पष्ट करें।
 2. स्थल विशेष परियोजना नहीं होने कारण 3 वैकल्पिक क्षेत्रों का चयन कर तुलनात्मक विवरण प्रेषित करें।
 3. वन क्षेत्र की आवश्यकता न्यूनतम होने के संबंध में कोई अभिलेख/ प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तावित स्थल में निर्माण कार्य का Layout तथा भूमि उपयोग का ब्रेकअप के साथ परीक्षण करते हुए वन मंडलाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित करें।
 4. नवोदय विद्यालय की आवश्यकता के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जावे।
- उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मूलतः तैयार किया जाता है।
संलग्न:-प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

(एस. एस. बर्जाज)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-734/4251

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।

रायपुर, दिनांक 26/12/2018

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़